न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 11/2025

बउनवान

सरकार जर्ये रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, (मांगरोल) (प्रार्थी)

बनाम

श्री सुरेन्द्र,कैलाश पुत्र जगन्नाथ, निवासी सीसवाली तह. मांगरोल (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. महेन्द्र कुमार एडवोकेट (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 28.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के कम में मैं प्रार्थी हमराह श्री धीरज कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, प्रताप चौराहा सीसवाली स्थित श्री कृष्णा स्वीट्स पर पहुंचे। मौके पर सुरेन्द्र, कैलाश पुत्र जगन्नाथ, निवासी सीसवाली, उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के बिन्दु संख्या 3,4,5 व 7 का उल्लंघन पाये जाने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स यादव एचपी गैस एजेन्सी सीसवाली की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी सीसवाली तहसील मागरोल जिला बारां का रहने वाला शान्तिप्रिय व्यक्ति है. जो सीसवाली में कृष्णा स्वीट्स के नाम से रेस्टोरेन्ट का संचालन कर अपना व परिवार की जीविकोपार्जन करता है। अप्रार्थी का परिवार पूर्ण रूप से उक्त रेस्टोरेन्ट की आय पर निर्भर है। अप्रार्थी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अप्रार्थी द्वारा अपने रेस्टोरेन्ट पर खाद्य सामग्री निर्माण हेतु व्यवसायिक गैस सिलन्डरो का ही उपयोग किया जाता है। अप्रार्थी ने किसी प्रकार के घरेलू सिलेन्डर का व्यवसायिक उपयोग नही किया है तथा अप्रार्थी ने राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापवन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3 (1) तथा द्रवित पेट्रोलियत गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन नही किया है, ना ही धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कोई दण्डनीय अपराध कारित किया है। जब्त सिलेन्डर न तो अप्रार्थी के है और ना ही अप्रार्थी के नाम से इश्यू हो रहे है। उक्त सिलेन्डर अप्रार्थी की दुकान पर नाश्ता करने आये हुये दीगर व्यक्तियों के थे, जिनको नाश्ता करने के दौरान वह रखकर नाश्ता कर रहे थे। अप्रार्थी से अवैधानिक धनराशि एवं शराब की मांग करने पर मना करने पर फर्जी एवं मनमाने तरीके से अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेन्डर का उपयोग करना बताया गया है। अप्रार्थी ने कभी भी घरेलू सिलेन्डर का व्यवसायिक उपयोग नही किया है। लिखी गई फर्द जब्ती भी अप्रार्थी को पढा सुनाकर एवं समझाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.08.27 11:15:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

नहीं की गई, उक्त फर्द जब्ती मौके पर नहीं की गई एवं अप्रार्थी पर दबाव बनाकर अप्रार्थी से हस्ताक्षर करवाये गये है। अप्रार्थी को महज द्वेषतावश प्रकरण में झूठा संलिप्त कर मिथ्या आधारों पर अप्रार्थी से जब्ती बताई है। अप्रार्थी का दूर–दूर तक उक्त प्रकरण एव प्रार्थना पत्र में वर्णित धाराओं से कोई वास्ता नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को ड्रोप/निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया हम बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों से पूर्णतया सहमत हैं तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 61120, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 366070T, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि एक गैस सिलेण्डर की कुल 2500/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स यादव एचपी गैस एजेन्सी सीसवाली को कीमत पर दिया जावे तथा उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.08.27 11:15:15 IST
Reason: SelfAttested